

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2772

मंगलवार, 18 मार्च, 2025/27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए एकसमान सॉफ्टवेयर

+2772. श्री पी. पी. चौधरी:

श्री दामोदर अग्रवाल:

श्री गणेश सिंह:

श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

श्री भर्तृहरि महताब:

श्री दिनेशभाई मकवाणा:

श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:

डॉ. मन्ना लाल रावत:

डॉ. के. सुधाकर:

श्री खगेन मुर्मु:

डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकसमान सॉफ्टवेयर का सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि छोटे और सीमांत किसानों विशेषकर वे, जो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं, को डिजिटलीकरण से समान रूप से लाभ मिले;

(ग) क्या अधिक सुव्यवस्थित कृषि ऋण प्रणाली के लिए पीएसीएस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को अन्य राष्ट्रीय वित्तीय प्लेटफॉर्मों जैसे कि पीएम-किसान, ई-नाम या किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पोर्टलों के साथ जोड़ने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ) भारत सरकार ने कुल ₹2,516 करोड़ के वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला

केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ लिंक करना है। यह कॉमन ईआरपी सॉफ्टवेयर देश भर में सभी पैक्स को प्रदान किया जाता है, ताकि पैक्स की सभी कार्यशील, क्रेडिट और नॉन-क्रेडिट दोनों पर डेटा प्राप्त किया जा सके। यह सॉफ्टवेयर राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूलन योग्य है।

ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के माध्यम से पैक्स के प्रदर्शन में कुशलता लाता है। इसके अलावा, पैक्स के शासन और पारदर्शिता में भी सुधार होता है जिसके फलस्वरूप ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित होता है, लेनदेन लागत घटती है, भुगतान असंतुलनों में कमी आती है तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होता है। इसके अलावा, नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता यह सुनिश्चित करती है कि लघु और सीमांत किसानों के साथ ऐसे किसान, जो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं, डिजिटलीकरण से समान रूप से लाभान्वित हों।

यह व्यापक ईआरपी सदस्यता प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं जैसे जमा और उधार (अल्पकालिक, मध्यम कालिक और दीर्घकालिक), प्रापण, प्रसंस्करण इकाइयों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), व्यवसाय योजना भांडागारण, क्रय-विक्रय, उधार, आस्ति प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन सहित बहु कार्यात्मकता को एकीकृत करता है। इसके अतिरिक्त, इसमें पैक्स सदस्यों के लिए निर्बाध वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए रुपये और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)/डेटाबेस एकीकरण को शामिल करने का प्रावधान है।
